

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर ।

पत्रांक-4405/14-1 (FP/UP/Road/40150/2019) दिनांक, मुजफ्फरनगर, 19-05-2022 ।  
सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,  
एन0एच0डिविजन  
पी0डब्लू0डी0 गाजियाबाद।

विषय:- जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-334ए) लक्सर-पुरकाजी कि0मी0 0.00 से कि0मी0 15.089 के चौड़ीकरण हेतु 0.21 हे0 संरक्षित वन भूमि के वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित विभिन्न प्रजातियों के 59 वृक्षांश के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भ- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-FP/UP/06/24/2021/FC/52 दिनांक-29.04.2022

महोदय,

जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-334ए) लक्सर-पुरकाजी कि0मी0 0.00 से कि0मी0 15.089 के चौड़ीकरण हेतु 0.21 हे0 संरक्षित वन भूमि के वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित विभिन्न प्रजातियों के 59 वृक्षांश के पातन की अनुमति के संबंध में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक-29.04.2022 द्वारा निम्नानुसार अभिलेखों की वांछना की गयी है-

1- As per DSS analysis, area proposed for diversion is 0.10 ha, which is lower than the actual proposed area. As per Geo-referenced map, a forest patch is missing from kml file of area proposed for diversion. This needs rectification. Rectified kml file of complete route needs to be submitted accordingly if area proposed for diversion is changed then all related documents need to be modified and resubmitted.

अतः विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक 29.04.2022 के क्रम में अभिलेख 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(कन्हैया पटेल)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मुजफ्फरनगर

संख्या / दिनांकित ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण अधिनियम 1980) उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Received  
19/5/2022

(कन्हैया पटेल)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मुजफ्फरनगर



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Integrated Regional Office, Lucknow



Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roez.allo.mef@nic.in

पत्र सं० 8वी/यू०पी०/०६/२४/२०२१/एफ०सी०/S-2

दिनांक : 29.04.2022

रोवा में,

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,  
वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग,  
लखनऊ, उ०प्र०।

Online Proposal No. FP/UP/Road/40150/2019

विषय: जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-334ए), लखसर-परकाजी किमी० ०.०० से किमी० 15.089 के चौड़ीकरण हेतु 0.21 हे० संरक्षित वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित विभिन्न प्रजातियों के 59 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-2800/11-सी-FP/UP/Road/40150/2019, लखनऊ, दिनांक-01.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.02.2021 द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचनाएँ मांगी गई थीं, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

- 1- As per DSS analysis, area proposed for diversion is 0.10 ha. which is lower than the actual proposed area. As per Geo-referenced map, a forest patch is missing from .kml file of area proposed for diversion. This needs rectification. Rectified .kml file of complete route needs to be submitted. Accordingly if area proposed for diversion is changed then all related documents need to be modified and resubmitted.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. अति० मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियंता, एन०एच० डिवीजन, पी०डब्ल्यू०डी०, गाजियाबाद।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

29/04/2022